भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3564

(जिसका उत्तर सोमवार 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

बढ़ती महंगाई का घरेलू खपत पर प्रभाव

3564. **डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल की मासिक आर्थिक समीक्षा का संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि महंगाई की स्थिति पर लगातार दृष्टि बनाए रखने की आवश्यकता है और पारिवारिक खपत पर दबाव पड़ सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि खुदारा महंगाई हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्यम-अवधि के महंगाई लक्ष्य से अधिक हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भोज्य पदार्थों, ईंधन और थोक कीमतों में बढ़ोतरी का पारिवारिक क्रय क्षमता और निजी व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को महंगाई के दबाव से बचाने के लिए किए जाने वाले या किए गए वित्तीय उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का महंगाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर की दरों की समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): मासिक आर्थिक समीक्षा के मई 2026 संस्करण में यह उल्लेख किया गया है कि "*...आने वाले माह में कुल खपत की मांग को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है*" जैसा कि उस समय के पूर्वानुमान में "*...सामान्य से कम मानसून और आर्थिक गतिविधियों में संभावित कमी*" को इंगित किया गया था। मई *के मध्य में पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ* पश्चिम एशिया में युद्ध के परिणामस्वरूप थोक कीमतों में वृद्धि के कारण अपस्ट्रीम लागत दबावों के अन्य वस्तुओं पर कुछ सीमा तक पड़ने वाले प्रभावों की संभावना के कारण यह बयान दिया गया था कि *"महगांई की स्थिति पर लगातार दृष्टि बनाए रखने की आवश्यकता है।"*

(ख): औसत खुदरा मुद्रास्फीति वर्ष 2023-24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2025-26 में 2.1 प्रतिशत हो गई। तथापि, वस्तुओं की कीमत में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया संकट से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृदधि और संभावित प्रतिकूल अल नीनो परिस्थितियों के कारण, जून 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.38 प्रतिशत हो गई, जो अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4±2 प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर है। वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए तिमाही औसत 3.9 प्रतिशत है, जो 4 प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्य और उक्त तिमाही के लिए आरबीआई के 4.2 प्रतिशत के पहले के पूर्वानुमान से कम है।

(ग) और (घ): थोक मुद्रास्फीति दर 2024-25 में 1.7 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 0.4 प्रतिशत हो गई, लेकिन वैश्विक आपूर्ति में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गई। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति ने भी इसी का अनुसरण किया, लेकिन खुदरा स्तर पर मूल्य दबाव सामान्य और स्थिर थे। खुदरा मुद्रास्फीति में हालिया वृद्धि मुख्य रूप से प्रतिकूल मौसम दशाओं के कारण थी, जो विशेष रूप से प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों और चुनिंदा सब्जियों की कीमतों की खाद्य मुद्रास्फीति में वृदधि कर रही थी। ईंधन मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत कम थी, जो खुदरा स्तर पर ऊर्जा वस्तुओं के लिए बढ़ी हुई वैश्विक ईंधन कीमतों के आंशिक प्रभाव को दर्शाती है। वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में, खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति क्रमशः 4.8% और 1% थी। सरकार देश में मूल्य स्थिति की लगातार निगरानी करती है और परिवारों, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों की क्रय शक्ति की सुरक्षा के लिए उभरती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकतानुसार राजकोषीय, प्रशासनिक और आपूर्ति संबंधी उपाय करती है। हाल के कुछ राजकोषीय उपायों में जून 2025 में कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना; 4 मार्च 2023 से साबुत अरहर पर इसे शून्य तक करना; 31.03.2027 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत अरहर और उड़द के आयात हेतु शुल्क युक्तिकरण का विस्तार; 13 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2025 तक मसूर पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को घटाकर शून्य करना; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण; मार्च 2026 से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹10 प्रति लीटर की कमी; सितंबर 2025 में, विशेष रूप से आम आदमी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं, जैसे खाद्य उत्पादों, घरेलू वस्तुओं, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, कृषि वस्तुओं और विनिर्दिष्ट ऑटोमोबाइल आदि पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को युक्तिसंगत बनाना; और ₹12 लाख (और मानक कटौती के साथ वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹12.75 लाख) तक की वार्षिक आय पर आयकर से छूट देकर व्यक्तियों की प्रयोज्य आय में वृद्धि करना शामिल हैं। इन उपायों से घरेलू खपत बढ़ी है, जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद में निजी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा 56.5-56.7 प्रतिशत (आधार वर्ष 2022-23) पर व्यापक रूप से स्थिर रहने से स्पष्ट है। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम जीडीपी अनुमानों के अनुसार, प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में वर्ष 2025-26 में 6.8 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई, जो वर्ष 2023-24 में 4.8 प्रतिशत थी।

(ङ): सरकार हितधारकों के परामर्श से और जीएसटी के मामले में जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर अप्रत्यक्ष कर फ्रेमवर्क की निरंतर समीक्षा करती है। मुद्रास्फीति के रूझान, राजस्व निहितार्थ और समग्र वृहद आर्थिक स्थितियों सहित विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार समय-समय पर आवश्यक वस्तुओं पर कर दरों के संबंध में निर्णय लिए जाते है। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने या आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के लिए छूट देने के किसी भी प्रस्ताव के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कई बड़े पैमाने पर खपत वाली वस्तुओं को शामिल करने के लिए अंतिम युक्तिकरण सितंबर 2025 में किया गया था।
